निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 606/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

हनुमान दत्तक पुत्र गोपाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण, जिला जयपुर।
2. हीरालाल पुत्र स्व. श्री छीतर
3. राधेश्याम पुत्र स्व. श्री छीतर
4. भगवती पत्नी स्व. श्री गोपाल
5. गुड्डी पुत्री स्व. श्री गोपाल
6. अंजू पुत्री स्व. श्री गोपाल
7. संतोष पुत्री स्व. श्री गोपाल

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम नींदड, तहसील आमेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 253/2023 व–उनवानी हनुमान बनाम अंजू व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थित :–

1. श्री रामकिशन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री बनवारी कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी रामस्वरूप व राजेन्द्र की ओर से।

निर्णय दिनांक 16.10.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 253/2023 व–उनवानी हनुमान बनाम अंजू व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में पक्षकार श्री रामस्वरूप एवं श्री राजेन्द्र की ओर से श्री बनवारी कुमावत अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। उक्त उनवानी प्रकारण में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा–151 सी.पी.सी. पेश होने पर प्रार्थीगण को सुनते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया ओर पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये तत्पश्चात उक्त प्रार्थीगण को सुनते हुये उक्त प्रकरण में शामलाति भूमि पर स्टे होने बावजूद भी स्टे वेकेट कराने हेतु छोटी–छोटी तारीख पेशींया नियत की जा रही है एवं मुझ प्रार्थीगण को पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 13.08.2025 को नियत तारीख पेशी के दिन जब मैं न्यायालय में कोर्ट रूम के बाहर खडा था तो विपक्षीगण कोर्ट रूम के बाहर खडे बात कर रहे थे कि उक्त प्रकरण में हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है और आज पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में शामलाती खातेदारी जमीन पर स्टे को वेकेट कर दिया जायेगा और हम बाहुबल के आधार पर मौके पर जाकर कब्जा लेकर प्रार्थीगण को खदेड देगें। अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ ? पीठासीन अधिकारी उक्त वाद में छोटी–छोटी तारीख पेशी नियत की जाकर उक्त वाद को अप्रार्थीगण को लाभ पहुचाने की गरज से उनके पक्ष में मनमाना आदेश पारित करने पर आमादा है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार पैशा व्यक्ति है जो अपने अधिकारो को लिये अधीनस्थ न्यायालय में अपने अधिकारों के लिये लड रहा है तथा प्रार्थी के वाद अधीन भूमि के अलावा अन्य कोई जीविकॉपार्जन का साधन नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ कर प्रार्थी के दावे को खारिज करा देगें तो वो अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

4. अप्रार्थी श्री रामस्वरूप एवं राजेन्द्र के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट (सहायक कलक्टर) शहर दक्षिण, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner